

30/09/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप। विभागीय न्यायाधीश
जवाब का अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं
किया अतः जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने
उम्हें प्रार्थना पत्र में बरख सुनने का निवेदन किया।
वकील प्रार्थी की बरख सुनी गई। पत्रावली का
अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे पता चलता है
कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रवीशर उरने योग्य है।
अतः पत्रावली आदेश हेतु आदेश दिनांक 14/10/24 को
पेश हो।

14/10/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विगज
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28/10/24
को पेश हो।

28/10/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विगज
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 13/11/24
को पेश हो।

13/11/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
विगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

27/11/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विगज
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12/02/25
को पेश हो।

12/02/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। नेचमबंदी
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
दिया गया। पत्रावली फैसल नुमा होकर बखिन
दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

